

न्यायालय अति० जिला कलक्टर खैरथल-तिजारा (राजस्थान)

अपील संख्या 12/69/2024

रजि० नं० 2024/62

प्रवेश तिथि 14.10.2024

अपीलार्थी :- धर्मपाल पुत्र राजबीर सिंह निवारसी ग्राम चिरुणी, पोस्ट पीपली तहसील मुण्डावर जिला खैरथल-तिजारा (राज०)	प्रत्यर्थी :- राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला खैरथल-तिजारा
---	---

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—: निर्णय :- दिनांक 25.11.2024

- 1- अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा-6 (1) के अन्तर्गत राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला खैरथल-तिजारा को प्रथम आवेदन पत्र दिनांक 07.09.2024 प्रस्तुत कर मुख्यमंत्री खेल मैदान राजकीय उच्च प्राथमिक विधालय चिरुणी ग्राम पंचायत हटूण्डी (एल.जी.डी कोड 34076) के तहत पंचायत द्वारा कराये गये विकास कार्यों के बाबत सूचना चाही गई, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हें दिलवाई जावे।
- 2- अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है, कि राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला खैरथल-तिजारा द्वारा दिनांक 10.10.2024 तक अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावे।
- 3- अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर वांछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला खैरथल-तिजारा से जरिये नोटिस क्रमांक 3021 दिनांक 19.10.2024 से जवाब तलब किया गया, एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी कर, यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 23.10.2024 को उपस्थित आवें। नियत तिथी को अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ।
- 4- राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर ने जरिये पत्र क्रमांक 167 दिनांक 06.11.2024 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत हटूण्डी पंचायत समिति मुण्डार के पत्रांक 170 दिनांक 28.10.2024 की प्रति संलग्न कर प्रेषित की गयी है, जिससे स्पष्ट है, कि अपीलार्थी के प्रथम आवेदन पत्र दिनांक 07.09.2024 में वर्णित सूचनाएं अपील किये जाने के पश्चात उपलब्ध करायी गयी है। उक्त क्रम में विधिक प्रावधानों की पालना नहीं की गयी है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों में नियत समय अवधि का विशेष ध्यान रखे जाने का प्रावधान है। पीठासीन अधिकारी को हिदायत दी जाती है, भविष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त होने वाले आवेदनों में नियत समय अवधि/विधिक प्रावधानों का विशेष ध्यान रखा जाकर विधिवत कार्यवाही करे।
- 5- पत्रावली का अवलोकन किया। राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर द्वारा अपीलार्थी को विलम्ब से सूचना प्रेषित कि गयी है। अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है।
- 6- अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित-प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जायें। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल रिकार्ड हो।
- 7- आज दिनांक 25.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(शिवपील जाट)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा (राजस्थान)
खैरथल-तिजारा